उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन'

निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0–माजरा, देहरादून–248171

PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in, E-mail- secy.uerc@gov.in

<u>जन सुनवाई की संशोधित सूचना</u>

सौर पीवी, सौर थर्मल और ग्रिड इंटरेटिव रूफटॉप एवं लघु सोलर पीवी प्लांट्स हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये बेंचमार्क कैपिटल कॉस्ट की आयोग द्वारा समीक्षा/संशोधन हेतु प्रारूप आदेश पर जन–सुनवाई।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(h), 86(1)(e) सपठित धारा 181(2)(zd) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग द्वारा सौर पीवी, सौर थर्मल और ग्रिड इंटरेक्टिव रूफटॉप और लघु सोलर पीवी प्लांट्स हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये बेंचमार्क कैपिटल कॉस्ट की समीक्षा हेतु आयोग द्वारा प्रारूप आदेश (Order on Review of the Benchmark Capital Cost for Solar PV, Solar Thermal and Grid Interactive Rooftop & Small Solar PV Plants to be applicable for FY 2019-20 and onwards till reviewed/revised by the Commission) जारी किया गया है। उक्त आदेश पर सुझाव/आपत्तियां प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 12.01.2019 थी।

इस सम्बन्ध में पूर्व में आयोग द्वारा दिनांक 08.02.2019 को पूर्वान्ह 11:00 बजे जन–सुनवाई आहूत की गई थी। उक्त तिथि को अपरिहार्य कारणों से संशोधित कर यह जन–सुनवाई **दिनांक 22.02.2019 को पूर्वान्ह 11:00 बजे** आयोग कार्यालय के उपरोक्त पते पर आहूत की गई है।

यदि कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपने मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है तो वे उक्त निर्धारित जन–सुनवाई में उपस्थित होकर अपना मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

सचिव